<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: — 83ए / 16</u> संस्थापन दिनांक: —01 / 12 / 16 फाईलिंग नं. 4003602016

मारोती पिता कारू किराड़ उम्र 54 वर्ष, निवासी कोढरखापा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादी</u>

वि क्त द्व

- नायब तहसीलदार वृत्त बोरदेही, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- राजस्व निरीक्षक,
 वृत्त बोरदेही, तहसील आमला,
 जिला बैतूल (म.प्र.)
- हल्का पटवारी
 ग्राम कोढरखापा, वृत्त बोरदेही,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- सचिव,
 ग्राम पंचायत कोढरखापा,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- सरपंच,
 ग्राम पंचायत कोढरखापा,
 तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. नकलसिंह पिता झामसिंह, उम्र 56 वर्ष्झ
- 8. बसंती पिता झामसिंह, उम्र 60 वर्ष
- 9. गमंती पिता झामसिंह, उम्र 52 वर्ष
- 10. संतरी पिता झामिसंह, उम्र 52 वर्ष क. 7 से 10 निवासी ग्राम कोढरखापा तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

11. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>-: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 31.01.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि ख.नं. 202 रकबा 26.25 एकड़ वादी की पैतृक भूमि है जो कि वादी के दादा तेजीलाल के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी। उपर्युक्त भूमि के बंटे नंबर 202/3 रकबा 9.97 हे. पर तेजीलाल वर्ष 1948—49 तक स्वत्व एवं आधिपत्यधारी रहे। वर्ष 1948 में उनकी मृत्यु उपरात ख.नं. 202/3 उनके वारसान तुकाराम, कारू एवं हीरालाल के नाम पर आयी जिसमें से 1.81 एकड़ भूमि वादी के पिता कारू को पारिवारिक व्यवस्था में प्राप्त हुई। उक्त भूमि वर्ष 1971—72 के अधिकार अभिलेख में 202/4 नवीन नंबर 51 के नाम से दर्ज हुई परंतु प्रतिवादी क. 01 से 03 के द्वारा वर्ष 1971—72 के अधिकार अभिलेख की तब्दीली के समय प्रतिवादी क. 07 से 10 के पिता झामसिंह का नाम छलपूर्वक गलत दर्ज कर दिया गया जिसे हटाये जाने हेतु वादी के द्वारा हल्का पटवारी से कहा गया परंतु राजस्व रिकार्ड में संशोधन नहीं किया गया। अतः वर्ष 1971—72 से प्रतिवादी क. 07 से 10 के पिता का नाम विवादित भूमि पर त्रुटिपूर्ण दर्ज चला आया और झामसिंह की मृत्यु पर उनके वारसानों का नाम दर्ज हो गया।
- वर्ष 2010 में वादीगण की जानकारी के बिना उपर्युक्त विवादित भूमि को अविधिपूर्ण तरीके से बिना इश्तेहार का प्रकाशन किये मौके का पंचनामा तैयार किये प्रतिवादी क. 06 ग्राम पंचायत कोढरखापा का नाम दर्ज कर दिया गया। उपर्युक्त नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर प्रतिवादी क. 06 द्वारा प्रतिवादी क. 01 से 05 से मिलकर ग्राम वासियों की ओर से कलेक्टर को दिनांक 25.08. 2015 को झूठा आवेदन दिया गया और उक्त आवेदन के आधार पर प्रतिवादी क. 01 ने राजस्व प्रकरण क. 153/68 वर्ष 2014—15 में वादी का अतिक्रमण दर्ज कर लिया और वादी को कारण बताओ नोटिस दे दिया तथा उपर्युक्त राजस्व प्रकरण में बिना विधिक कार्यवाही किये वादी को दिनांक 23.08.2016 को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दे दिये। वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड

में हुई त्रुटि सुधार करने का आवेदन भी दिनांक 09.11.2015 को दिया गया परंतु वादी को सुनवायी का अवसर दिये बिना बेदखली का एकपक्षीय आदेश उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया। विवादित भूमि वादी के स्वत्व और आधिपत्य की है। नामांतरण एवं बेदखली आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में है। फलतः आवेदन स्वीकार किया जावे।

- प्रतिवादी क. 01 से 10 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रूप से लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार राज्य शासन की है तथा वादी का उस पर अतिक्रमण था जिसे हटाये जाने हेत् आवेदक को सूचना पत्र देकर और पूर्ण सुनवायी का अवसर देकर बेदखली का आदेश पारित किया गया तथा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.10.2016 के अनुपालन में दिनांक 27.10.2016 को विवादित भूमि का मौके पर जाकर प्रतिवादी क. 06 ग्राम पंचायत सरपंच को कब्जा भी सौंप दिया गया है। अतः वर्तमान में वादी का कोई कब्जा नहीं है। उपर्युक्त विवादित भूमि प्रतिवादी क. 07 से 10 के द्वारा शासन को दान की गयी थी जिसे राजस्व प्रकरण क. 2 अ / 24 वर्ष 2008–09 में दर्ज किया गया। नामांतरण हेतू उद्घोषणा भी जारी की गयी, नियत दिनांक तक आपत्ति न आने के कारण राज्य शासन ग्राम पंचायत कोंढरखापा का नाम दर्ज किया गया। वर्ष 1971–72 के अधिकार अभिलेख में प्रतिवादी क. 07 से 10 के पिता झामसिंह का नाम दर्ज है। वादी द्वारा उक्त नामांतरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में न होने से आवेदन निरस्त किया जावे।
- 5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

6 वादी द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से ख.नं. 202/3 में से ख.नं. 202/4 जिसका नवीन ख.नं. 51 है, अपने पिता कारू को प्राप्त होना, पत्पश्चात उसे प्राप्त होना बताया है। साथ ही ख.नं. 202 अपने दादा तेजीलाल का होना बताया है। वादी ने अपने आवेदन में यह भी लेख किया है कि ख.नं. 202/4

पर वर्ष 1971—72 के अधिकार अभिलेख की दुरूस्ती के समय त्रुटिवश प्रतिवादी क. 7 से 10 के पिता झामसिंह का नाम दर्ज हो गया था परंतु आधिपत्य उसी का रहा तथा वर्ष 2010 में उसे सुने बिना ख.नं. 202/4 पर ग्राम पंचायत का नाम दर्ज कर दिया गया।

- 7 वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज वर्ष 1917—18 के बंदोबस्त मौजा में ख.नं. 202/3 रकबा 9.96 तथा खसरा पांचसाला 1960—64 में 202/3 तेजी किराड़ के नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है तथा संशोधन पंजी वर्ष 1964 के अवलोकन से ख.नं. 202/3 तेजी की अन्य भूमियों के साथ उसकी मृत्यु उपरांत उसके सभी वारसानों के नाम दर्ज होना तथा वर्ष 1971—72 के अधिकार अभिलेख से ख.नं. 202/3 नवीन ख.नं. 51 तेजी के पुत्र तुकाराम के नाम दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा वर्ष 1971—72 के ही अधिकार अभिलेख में ख.नं. 202/4 रकबा 0.733 हे. नवीन ख.नं. 51 में झामसिंग का नाम दर्ज होना तथा परिवर्तन के स्वरूप वाले कॉलम में अभिलेख दुरूस्ती लेख होना प्रकट हो रहा है। तत्पश्चात वर्ष 2009—10 में ख.नं. 202/4 पर झामसिंग के वारसानों का नाम एवं वर्ष 2010 की संशोधन पंजी में राज्य शासन म.प्र. ग्राम पंचायत का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है।
- 8 वादी का यह आधार रहा है कि ख.नं. 202/4 वर्ष 1950 के लगभग उसके पिता कारू को प्राप्त हुई थी तब से उसका कब्जा है तथा यह भी वादी के द्वारा बताया गया है कि झामिसंग का नाम गलत दर्ज हो जाने के संबंध में उसने राजस्व अधिकारियों को बताया था परंतु नाम ठीक नहीं किया गया परंतु वादी के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा वर्ष 1971–72 में ख.नं. 202/4 पर झामिसंग का नाम हटाये जाने हेतु कोई कार्यवाही राजस्व न्यायालय में की गयी हो। साथ ही वादी के द्वारा वर्ष्झ 1971–72 के बाद से वर्ष 2008–09 तक के कोई भी खसरा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित हो कि वादी का ख.नं. 202/4 पर 1971–72 से वर्ष 2010 तक कब्जा रहा हो।
- 9 वादी का यह भी कहना रहा है कि वर्ष 2010 में राज्य शासन का नाम ख.नं. 202/4 पर उसे सुने बिना दर्ज कर दिया गया जबिक प्रतिवादी ने आवेदन के जवाब में यह बताया है कि इश्तेहार का प्रकाशन किया गया था परंतु कोई आपित्त नियत समयाविध में प्राप्त न होने से राज्य शासन का नाम दर्ज हुआ। साथ ही वर्ष्झ 2010 की संशोधन पंजी में ख.नं. 202/4 पर शासन का नाम दर्ज होना तथा आदेश वाले कॉलम में रा.प्र.क. 2 अ/24/वर्ष 2008—09 आदेश दिनांक 09.11.2009 लेख है जिससे प्रथम दृष्टया बिना किसी आधार के वर्ष 2010 में राज्य शासन का नाम दर्ज किया जाना प्रकट नहीं होता है।

- 10 प्रतिवादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज भू—अधिकारी ऋण पुस्तिका जो कि प्रतिवादी झामसिंह के नाम पर है। साथ ही न्यायालय तहसीलदार आमला के समक्ष झामसिंह के द्वारा शासन के पक्ष में विवादित भूमि त्यजन कये जाने का प्रारूप 'ख' प्रस्तुत किया गया है एवं आपितत हेतु उद्घोषणा प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व न्यायालय की आदेश पत्रिका एवं विवादित भूमि का वादी मारोती से कब्जा लेकर ग्राम पंचायत सरपंच को सौंपे जाने के संबंध में पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं एवं प्रतिवादी क. 07 एवं 10 के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच के पक्ष में निष्पादित मूल इकरारनामा दिनांक 23.09.2009 प्रस्तुत किया गया है।
- वादी द्वारा आवेदन के तर्क के दौरान आवेदन के समर्थन में न्याय दृष्टांत प्रसन्न कुमार जैन विरूद्ध डॉ. बसंत वामनराव 2009(2) जे.एल.जे. 380, रामबाबू विरूद्ध सिंधिया कन्या विद्यालय 2009(1) एम.पी.एल.जे. 180, रघुनंदन विरूद्ध कृष्णा बाई 2008(2) एम.पी.व्ही.नो. 109 एवं श्रीमती रामकली विरूद्ध श्रीमती शशि श्रीवास्तव एम.पी.व्ही.नो. 221 प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें यह अवधारित किया गया है कि यदि वादी व्यवस्थापित आधिपत्य में है और प्रथम दृष्ट्या मामला उसके पक्ष में है तो अस्थायी निषेधाज्ञा उसके पक्ष में जारी की जाना चाहिए परंतु प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होने से उपर्युक्त न्याय दृष्टातों का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है।
- 12 प्रकरण में प्रस्तुत अधिकार अभिलेख व खसरा पांचसाला के अवलोकन से विवादित भूमि पर वर्ष 1971—72 से प्रतिवादी झामिसंह एवं तत्पश्चात वर्ष 2010 में प्रतिवादी झामिसंह की मृत्यु उपरांत उनके वारसान प्रतिवादी क. 07 से 10 का नाम एवं तत्पश्चात ग्राम पंचायत सरपंच के कब्जे में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित होना प्रकट होता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी को विवादित भूमि पर अतिकामक मानकर उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश दिया जाना एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा वादी से विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया जाना दर्शित हो रहा है।
- वर्ष 1971—72 के बाद से वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य रहा हो या वादी के द्वारा 1971—72 में झामसिंह का नाम गलत दर्ज हो जाने के कारण उसका नाम हटाये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेज वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तब ऐसी स्थिति में वर्ष 1971—72 में ख.नं. 202/4 में झामसिंह का नाम तथा वर्ष 2010 में राज्य शासन का नाम गलत एवं अविधिपूर्ण रूप से दर्ज किया गया अथवा नहीं, इस प्रक्रम पर तय नहीं किया जा सकता है। साथ ही वादी अधिवक्ता

का यह तर्क कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध एवं समस्त राजस्व कार्यवाही अविधिपूर्ण है। दस्तावेज एवं राजस्व कार्यवाहियों की वैधता का निर्धारण भी इस प्रक्रम पर नहीं किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण का आधिपत्य प्रथम दृष्ट्या दर्शित नहीं हो रहा है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है, वहां प्रतिवादीगण के द्व ारा विवादित भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यदि निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाती है तो इससे सार्वजनिक हित प्रभावित होगा। साथ ही यदि विधिवत साक्ष्य उपरांत वादी अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहता है तो उसे हुई क्षति की पूर्ति धन के रूप में करायी जा सकती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।
- 15 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
- 16 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल